"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2019—पौष 6, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. (2008), आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपने वर्तमान कर्तव्य के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री प्रभात मलिक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, अतिरिक्त प्रभार संचालक, संस्थागत वित्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, संस्थागत वित्त के पद पर पदस्थ करते हुए अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री जिनेविवा किंडो, भा.प्र.से. (2004), सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर आयुक्त, सरगुजा संभाग के पद पर पदस्थ करता है.

सुश्री जिनेविवा किंडो, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् अपर आयुक्त, सरगुजा संभाग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

सुश्री जिनेविवा किंडो, भा.प्र.से. द्वारा अपर आयुक्त सरगुजा संभाग का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री छत्तर सिंह डेहरे, भा.प्र.से. (2004) अपर आयुक्त सरगुजा/बिलासपुर संभाग एवं अतिरिक्त प्रभार सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर तथा सचिव, लोक आयोग छत्तीसगढ़ केवल अपर आयुक्त सरगुजा संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14 नवम्बर 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/एक-2.—भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 154/CGH/2019-P.Admn, दिनांक 07-09-2019 द्वारा श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के पदभार से कार्यमुक्त किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा श्री समीर विश्नोई, भा.प्र.से. (2009), संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की नियमित पदस्थापना होने तक अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14 नवम्बर 2019

क्रमांक ई-1-07/2017/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/22/2018-AIS-I, दिनांक 04-10-2018 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) के अंतर्गत डॉ. बसवराजू एस., भा.प्र.से. (सीजी: 2007), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को तीन वर्ष के लिए अंत: संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग से कर्नाटक राज्य संवर्ग में पदस्थ करने हेतु दी गई अनुमति के अनुक्रम में डॉ. बसवराजू एस. की सेवाएं कर्नाटक सरकार को अंत: संवर्गीय प्रतिनियुक्ति हेतु तत्काल प्रभाव से सौंपते हुए कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 7 नवम्बर 2019

क्रमांक ई 7-08/2013/एक-2.—अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-19 के प्रावधान अनुसार श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, भा.प्र.से. को दिनांक 14-03-2019 से दिनांक 20-03-2019 तक (दिनांक 21 मार्च, 2019 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ते हुए) स्वीकृत आकस्मिक/लघुकृत अवकाश को अर्जित अवकाश में परिवर्तित करते हुए दिनांक 14-03-2019 से दिनांक 03-04-2019 तक 21 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ 20-36/2014/11/6.—चूंकि राज्य सरकार यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2014-19 द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-01-2015 के परिशिष्ट-3 में प्राथमिकता उद्योगों की सूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत परिशिष्ट-3 "प्राथमिकता उद्योगों की सूची" में (अ) वर्गीकरण के आधार पर" की सूची में अनुक्रमांक 23 पर निम्नानुसार वर्णित है :—

"ऐसे अन्य उत्पाद जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाए." को अनुक्रमांक-25 मान्य करते हुए अनुक्रमांक-23 पर "एथेनॉल/जैव ईंधन के उत्पाद हेतु बायो रिफाईनरी (खरीफ मौसम में निर्धारित नियम एवं शर्तों पर मार्कफेड में उपलब्ध अतिरिक्त धान अनिवार्यत: क्रय करने की शर्त पर)" समाविष्ट किया जाता है."

साथ ही अनुक्रमांक-24 पर "राज्य शासन की पूर्ण अंशपूंजी से संचालित सहकारी शक्कर कारखानों द्वारा एथेनॉल/जैव ईंधन के उत्पाद हेतु बायो रिफाईनरी" समाविष्ट किया जाता है.

(दो) औद्योगिकी नीति 2014-19 के तहत परिशिष्ट-3 "प्राथमिकता उद्योगों की सूची" में (अ) वर्गीकरण के आधार पर" की सूची में अनुक्रमांक 23 के पश्चात् (संशोधन उपरांत अनुक्रमांक-25) में दर्शित टीप-को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

टीप :—

1. प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा.

2. एथेनॉल/जैव ईंधन के उत्पाद हेतु बायो रिफाईनरी स्थापित किये जाने हेतु निजी निवेशक द्वारा स्थापित प्रथम 6 इकाईयों को नवीन औद्योगिक इकाईयों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में Early Bird Scheme के तहत् राज्य में एमओयू के निष्पादन के उपरांत 6 माह के भीतर भारत शासन सार्वजनिक उपक्रम यथा-इंडियन आईल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम इत्यादि उत्पाद के प्रथम विक्रय किये जाने की स्थिति में रु. 2 करोड़ की विशेष प्रोत्साहन अनुदान राशि दी जावेगी.

यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे. उक्त संशोधनों के क्रियान्वयन हेतु नियम पृथक से जारी किये जायेंगे.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ 20-47/2013/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-03-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उपरोक्त नियम की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात :—

1. कंडिका 2.5.3 में शब्द "3 प्रतिशत" को शब्द "2 प्रतिशत्" से प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. निम्नानुसार नवीन कंडिका 2.5.13 जोड़ी जाती है :—
"औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित गोदामों का नियमितीकरण हेतु संबंधित औद्योगिक क्षेत्र हेतु अनुमोदित मानचित्र में सक्षम प्राधिकारी से यथा आवश्यक संशोधन कराया जाकर छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में उद्धृत अनुषांगिक प्रयोजनों के लिए प्रचलित एवं निर्धारित दरों पर नियमित किया जा सकेगा. इस हेतु नियम, प्रारूप एवं प्रक्रिया निर्धारण उद्योग संचालनालय/ सीएसआईडीसी द्वारा किया जायेगा."

3. कंडिका 2.7 के प्रावधान में प्रथम पैरा के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाता है :—

"परन्तु रिक्त भू-खण्ड उपलब्ध न होने अथवा ऑन लाईन व्यवस्था उपलब्ध न होने पर आवेदन संबंधित जिला उद्योग केन्द्र/सीएसआईडीसी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवश्यक शुल्क तथा प्रस्तावित भूखण्ड के आकार हेतु अपेक्षित प्रब्याजि की 10 प्रतिशत राशि (जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा) के साथ ऑफ लाईन भी दिये जा सकेंगे. जिसे परीक्षण उपरांत, यदि आवेदन पत्र भूमि आबंटन के लिए सभी पात्रताओं की पूर्ति करता हो, प्राप्ति दिनांक अथवा अधिकतम आगामी कार्य दिवस को ही संबंधित जिला अधिकारी/सीएसआईडीसी के अधिकारी द्वारा ऑन लाईन वेब साईट (और किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया से) पर पंजीयन हेतु अपलोड किया जावेगा, ताकि भू-खण्ड उपलब्ध होने पर उक्त छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 की कंडिका 2.7.3 अनुसार "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर आबंटित किया जा सके. इस हेतु साफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे.

परन्तु, आबंटन योग्य किसी विशेष भूमि, भवन, शेड, प्रकोष्ठ के लिए एक ही दिन में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उस दिन के आवेदन का वरीयताक्रम लाटरी पद्धति से निर्धारित किया जावेगा. भू खण्ड खाली न होने की दशा में प्राप्त आवेदन पत्रों (यदि आवेदन पत्र भूमि आबंटन के लिए सभी पात्रताओं की पूर्ति करता हो) के आधार पर एक वरीयता सूची प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के लिए संधारित की जायेगी, जिसमें केवल उसी वित्तीय वर्ष के लिए किसी आवेदन को रखा जा सकेगा और उसकी समयावधि में वृद्धि किसी भी दशा में नहीं की जायेगी तथा आवेदककर्ता की राशि बिना किसी ब्याज के वापसी की जावेगी. यदि आवेदक चाहे तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व भी अपना आवेदन निरस्त कर सकेगा एवं आवेदन हेतु जमा की गई 10 प्रतिशत की राशि की वापसी की जा सकेगी. यदि आवश्यक हो तो आवेदक द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पुनः नवीन आवेदन किया जा सकेगा, जिसे तद्नुसार वरीयता सूची में नया स्थान दिया जायेगा."

4. कंडिका 2.10.2 के पश्चात् निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाता है :—

परन्तु, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को रियायती दरों पर आबंटित भूमि का हस्तांतरण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्तियों को नहीं किया जा सकेगा."

5. निम्नानुसार नवीन कंडिका 2.13 जोड़ी जाती है :—

"2.13 **फ्रीहोल्ड पर भूमि :—** जिन प्रकरणों में औद्योगिक क्षेत्र में गत् 10 वर्षों से अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग निरन्तर संचालित रहा है तथा प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग केवल पट्टाभिलेख में उल्लेखित एवं निर्धारित मूल प्रयोजन के लिए एवं आवेदन दिनांक पर लीज डीड निरस्त स्थिति में न हो, केवल ऐसे ही प्रकरणों में इस सुविधा का लाभ उठाने की पात्रता पट्टाधिकारी को होगी. यह भी कि, आवेदनकर्ता को 2 हेक्टेयर अथवा इससे कम भूमि आबंटित हो तथा उसके विरूद्ध शासन के किसी विभाग/सक्षम आबंटन प्राधिकारी द्वारा पट्टाभिलेख के प्रावधानों के तहत् कोई कार्यवाही अपेक्षित/प्रचलित न हो, को आबंटित भूमि विभाग द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन फ्रीहोल्ड लेने की पात्रता होगी, किन्तु वह प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग केवल पट्टाभिलेख में उल्लेखित एवं निर्धारित मूल प्रयोजन के लिए ही कर सकेगा तथा वह भूमि केवल औद्योगिक प्रयोजन हेतु छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रु. 10,000 के सांकेतिक दर पर हस्तांतरित की जा सकेगी, जिसके लिये हस्तांतरण हेतु आपसी अनुबंध के तीन माह के भीतर प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी. पट्टे की अन्य शर्तों को तदानुसार ही संशोधित किया जायेगा. उपरोक्तानुसार प्रावधान का पालन न किये जाने की स्थिति में मूल आबंटन प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह नियमों के अनुसार यथा आवश्यक कार्यवाही प्रचलित कर सकेगा. एवं सक्षम आदेश पारित कर सकेगा, जिसमें उक्त प्रयोजन के लिए अन्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त जमा कराई गई राशि राजसात भी की जा सकेगी.

किन्तु फ्रीहोल्ड की गई भूमि का उपयोग केवल मूल आबंटी के साथ निष्पादित पट्टाभिलेख में उल्लेखित एवं निर्धारित मूल प्रयोजन के लिए न किये जाने अथवा संबंधित उद्योग के बंद हो जाने की दशा में उस पर छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के प्रावधान लागू रहेंगे.

परन्तु इस तरह की भूमि का उपयोग न होने की दशा में निवेशक उसे छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 की कंडिका 3.6 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार समर्पण कर सकेगा. फ्रीहोल्ड पर भूमि लेने के लिए उसे संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/सीएसआईडीसी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा. वाणिज्य एवं

उद्योग विभाग तथा इसके अधीनस्थ संस्थाओं के द्वारा आबंटित भूमि के संबंध में, भूमि फ्रीहोल्ड पर देने के लिए दरों का निर्धारण छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 की कंडिका 2.5 में वर्णित सक्षम प्राधिकारी/संस्था द्वारा किया जावेगा.

फ्रीहोल्ड किये जाने के फलस्वरूप संबंधित भूखण्ड के विरूद्ध प्रतिवर्ष देय भू-भाटक लागू नहीं होगा किन्तु प्रतिवर्ष देय संधारण शुल्क तत्समय प्रचलित प्रब्याजि के अनुरूप लागू होगा.

इस प्रक्रिया हेतु नियम, प्रारूप एवं प्रक्रिया का निर्धारण उद्योग संचालनालय/सीएसआईडीसी द्वारा किया जायेगा.

6. कंडिका 3.1.2.2 के प्रावधान में प्रथम पैरा के नीचे अर्थात् द्वितीय पैरा के रूप में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाता है :—

"परन्तु, औद्योगिक क्षेत्र में आबंटित, यदि अतिशेष भूमि पृथक औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए आबंटन योग्य है, अर्थात् उसमें पृथक से मार्ग उपलब्ध है, तो संबंधित आबंटी (मूल) द्वारा उसे आबंटित भूमि का आंशिक समर्पण किये जाने पर, आंशिक समर्पित भूमि नवीन इकाई की स्थापना हेतु संबंधित आबंटी द्वारा प्रस्तावित नये निवेशक के पक्ष में विभाग के आबंटन प्राधिकारी के समक्ष आंशिक समर्पण के पश्चात् नवीन आबंटी द्वारा प्रश्नाधीन आंशिक भूखण्ड हेतु आबंटन आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक पर संबंधित क्षेत्र हेतु निर्धारित/प्रचलित प्रब्याजी की 50 प्रतिशत् की दर पर आबंटित की जा सकेगी, किन्तु ऐसा समर्पण केवल एक अतिरिक्त इकाई की स्थापना हेतु ही किया जा सकेगा अर्थात् इन नियमों के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा भूखण्ड के अनुमोदित मानचित्र में वर्णित भूखण्ड को मात्र एक बार का विभाजन मान्य किये जाने की अनुमति होगी. अनुमोदित भूखण्ड को उसे किसी भी दशा में एक से अधिक टुकड़ों में विभाजन कर समर्पित किये जाने एवं पुर्नआबंटन की अनुमति नहीं होगी. समर्पण पश्चात् सृजित होने वाले नवीन भूखण्ड पर स्थापित होने वाली इकाई को समर्पित भूमि के परिप्रेक्ष्य में निष्पादित होने वाले पट्टा अभिलेख (नवीन इकाई) में वर्णित सभी नियमों व शर्तों तथा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन उसी प्रकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिस प्रकार नवीन आबंटन प्राप्तकर्ता इकाई से अपेक्षित होता है."

परन्तु एक बार समर्पण किये जाने के पश्चात् मूल आबंटी को ऐसे किए गए समर्पण को वापस प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा. यहां यह भी प्रावधानित किया जाता है कि उपरोक्त उप विभाजन को लागू सभी नियमों के अंतर्गत सक्षम अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा.

7. कंडिका 3.4.2.4 में वर्णित शब्द "15 (पन्द्रह) प्रतिशत्" के स्थान पर शब्द "5 (पांच) प्रतिशत्" प्रतिस्थापित किया जाता है.

8. कंडिका 3.4.2.8 के प्रावधान में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाता है :—

"परन्तु, कंडिका 3.1.2.2 अनुसार आबंटित भूमि का आंशिक समर्पण किया जा सकेगा."

उपरोक्त सभी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ 01-06/2019/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है :—

स.क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री संजय पिल्ले (भा.पु.से. 1988)	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर.	संचालक, लोक अभियोजन एवं अतिरिक्त प्रभार-संचालक, राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री अशोक जुनेजा, (भा.पु.से. 1989)	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं छसबल तथा एस.टी.एफ./प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर का अतिरिक्त प्रभार.	वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर का अतिरिक्त प्रभार.
3.	श्री पवन देव, (भा.पु.से. 1992)	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती/चयन), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर अतिरिक्त प्रभार संचालक, लोक अभियोजन एवं संचालक, राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर.	अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन, रायपुर.
4.	श्री हिमांशु गुप्ता (भा.पु.से. 1994)	पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग (छ.ग.)	पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.).
5.	श्री के.एस.आर.पी. कल्लूरी (भा.पु.से. 1994)	अपर परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़	पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर.
6.	श्री विवेकानंद (भा.पु.से. 1996)	पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, बस्तर (छ.ग.).	पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग (छ.ग.).
7.	श्री टी. आर. पैकरा, (भा.पु.से. 2002)	उप पुलिस महानिरीक्षक, कांकेर	अपर परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़
8.	श्री रतन लाल डांगी (भा.पु.से. 2003)	उप पुलिस महानिरीक्षक, राजनांदगांव, मुख्यालय, दुर्ग.	उप पुलिस महानिरीक्षक, राजनांदगांव, मुख्यालय राजनांदगांव.
9.	श्री सुंदरराज पी. (भा.पु.से. 2003)	उप पुलिस महानिरीक्षक (नक्सल ऑपरेशन), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर.	प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, बस्तर (छ.ग.).
10.	श्री संजीव शुक्ला (भा.पु.से. 2004)	उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर.	उप पुलिस महानिरीक्षक, कांकेर
11.	श्री अजय कुमार यादव, (भा.पु.से. 2004)	उप पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला-दुर्ग
12.	श्री बी.एस. ध्रुव, (भा.पु.से. 2006)	सेनानी, तीसरी वाहिनी, छसबल, अमलेश्वर, दुर्ग.	पुलिस अधीक्षक, जिला राजनांदगांव.
13.	श्री बालाजी राव सोमावार, (भा.पु.से. 2007)	पुलिस अधीक्षक, जिला धमतरी	पुलिस अधीक्षक (रेल), रायपुर
14.	श्री के. एल. ध्रुव, (भा.पु.से. 2008)	पुलिस अधीक्षक, जिला कांकेर	सेनानी, 10वीं वाहिनी, छसबल, सूरजपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	श्रीमती मिलना कुर्रे, (भा.पु.से. 2008)	पुलिस अधीक्षक (रेल), रायपुर	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर.
16.	श्री कमलोचन कश्यप, (भा.पु.से. 2008)	पुलिस अधीक्षक, जिला राजनांदगांव	सेनानी, तीसरी वाहिनी, छसबल, अमलेश्वर, दुर्ग.
17.	श्री प्रखर पाण्डेय, (भा.पु.से. 2009)	पुलिस अधीक्षक, दुर्ग	सेनानी, 6वीं वाहिनी, छसबल, रायगढ़.
18.	श्री भोजराम पटेल, (भा.पु.से. 2013)	मान. राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर.	पुलिस अधीक्षक, जिला कांकेर
19.	श्री चंद्रमोहन सिंह, (भा.पु.से. 2014)	उपसेनानी, तीसरी वाहिनी, छसबल, अमलेश्वर, दुर्ग.	पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया
20.	श्री त्रिलोक बंसल, (भा.पु.से. 2016)	नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन, रायपुर.	मान. राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर.
21.	श्री बी.पी. राजभानू, भा.पु.से.	सेनानी, 14वीं वाहिनी, छसबल, दल्ली राजहरा, जिला बालोद.	पुलिस अधीक्षक, जिला धमतरी
22.	श्री विवेक शुक्ला, भा.पु.से.	पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया	सेनानी, 11वीं वाहिनी, छसबल, जांजगीर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ 1-5/2018/13/1.—इफको छत्तीसगढ़ पॉवर लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोशिएसन की कंडिका 76 एवं 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 23-07-2018 द्वारा श्री के. आर. सी. मूर्ति को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 1 वर्ष अथवा आगामी आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो तक, इफको छत्तीसगढ़ पॉवर लिमिटेड में डायरेक्टर एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 22-07-2019 को समाप्त हो चुकी है.

2. अत: इफको छत्तीसगढ़ पॉवर लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका-76 एवं कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, दिनांक 22-07-2019 के पश्चात् श्री के. आर. सी. मूर्ति, को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 02 वर्ष अथवा आगामी आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, तक इफको छत्तीसगढ़ पॉवर लिमिटेड में क्रमश: डायरेक्टर एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार भार्गव, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्रमांक/8139A/14/अ-82/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	कुम्हानखार प.ह.नं. 30	0.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कांकेर.	टूरी व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्रमांक/8142A/03/अ-82/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	मूड़पार प.ह.नं. 28	0.210	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	कांकेर-दूधावा मार्ग के कि.मी. 15/2 पर कंक नाला पर उच्चस्तरीय सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्रमांक/8143A/25/अ-82/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	धनेसरा प.ह.नं. 20	2.60	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कांकेर.	दुधावा दांयी तट नहर के लघु नहर क्रमांक 06 निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्रमांक/8145/23/अ-82/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	सिलतरा	4.80	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कांकेर.	सिलतरा जलाशय के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्रमांक/8147A/03/अ-82/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	ईच्छापुर	2.58	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कांकेर.	ईच्छापुर व्यपवर्तन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्रमांक/8149A/15/अ-82/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	अभनपुर प.ह.नं. 21	1.80	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कांकेर.	दुधावा दांयी तट नहर के लघु नहर क्रमांक 03 निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्रमांक/8151A/22/अ-82/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	पेन्ड्रावन प.ह.नं. 21	0.06	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कांकेर.	दुधावा दांयी तट नहर के लघु नहर क्रमांक 03 निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्रमांक/8153A/21/अ-82/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	धनेसरा प.ह.नं. 20	2.78	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कांकेर.	दुधावा दांयी तट नहर के लघु नहर क्रमांक 05 निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्रमांक/8156A/02/अ-82/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	नवागांव भावगीर	1.32	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कांकेर.	ईच्छापुर व्यपवर्तन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्रमांक/8157A/01/अ-82/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	दसपुर	0.41	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कांकेर.	आर्वधन जल प्रदाय योजना इन्टेकवेल निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्रमांक/8159A/24/अ-82/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	भिरौद प.ह.नं. 21	1.43	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कांकेर.	दुधावा दांयी तट नहर के लघु नहर क्रमांक 02 निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 25 नवम्बर 2019

क्रमांक/21905/भू-अर्जन/17 अ 82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	सुवरलोट प.ह.नं. 16	0.968	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	बोराईनाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 अक्टूबर 2019

क्रमांक 04/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-जतरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.521 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	512/2	0.041
	365/1ख	0.061
	512/9	0.088
	864/4, 865/4	0.162
	727/1	0.061
	860/1क	0.020
	726/4	0.088
योग	07	0.521

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत अमलीपाली वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 अक्टूबर 2019

क्रमांक 05/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कवरिहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.468 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	260/4	0.145
	213/1	0.012
	353/1	0.020
	197/1	0.020
	353/2	0.129
	390	0.101
	353/3	0.041
योग	07	0.468

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत तेलीपाली माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 अक्टूबर 2019

क्रमांक 67/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-पुसल्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.993 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
792	0.028
794/2	0.008
454/2	0.100
783/2ग	0.044
822	0.012
831/2	0.060
826/3	0.020
876/4	0.032
568/2	0.132
573/3	0.060
570/1, 571/1	0.016
374/3, 395/3	0.096
568/4	0.108
684/1	0.049
486/21, 686/21	0.092
488/1	0.020
387/21	0.136
387/4	0.057
793	0.024
452/2	0.008
454/1	0.052
783/2क	0.064
823/2	0.032
827/2	0.024
876/1	0.024
568/3	0.056
893/2	0.096
684/2	0.057
575/2	0.216
567/2	0.077
683	0.140
685	0.080
486/22, 686/22	0.088
373/2	0.084
384/2	0.012
389/5	0.012

(1)	(2)
796/1	0.017
452/1	0.052
454/3	0.008
785/2	0.032
823/5	0.061
826/1	0.012
876/2	0.028
877/1, 877/2	0.044
894/1	0.128
572/1	0.200
567/1	0.045
567/3	0.032
568/5क	0.056
486/10, 686/10	0.140
486/5, 686/5	0.040
374/2, 395/2	0.068
394/5	0.020
394/3	0.008
795/3	0.008
453	0.100
784	0.032
783/2ख	0.008
827/1, 831/4	0.020
826/2	0.024
876/3	0.036
886	0.152
573/2	0.036
570/2, 571/2	0.036
373/3	0.128
568/6	0.164
568/1	0.048
373/1	0.052
486/9, 686/9	0.304
387/3	0.081
394/4	0.089
388/7	0.016
389/7	0.053
384/1	0.004
385/1	0.012
388/4	0.137
384/4	0.044
385/2	0.040
389/9	0.012
384/3	0.012
878/2	0.020
389/1ख	0.041

	(1)	(2)
	387/14	0.045
	452/4	0.032
योग	84	4.993

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत शंकरपाली माइनर-1 एवं 2 नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 47/अ-82/17-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-नूनदरहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.503 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
51	0.020
52	0.012
61	0.084
197/1	0.090
197/2	0.160
197/3	0.077
203/1	0.008
203/2	0.008
203/3	0.008
203/4	0.008
204/1	0.010
204/2	0.006
204/3	0.006
204/4	0.006
योग 14	0.503

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नूनदरहा-नवाडीह मार्ग में पझार नाला पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/18-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-औराईमुडा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.837 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16	0.765
14/3	0.056
14/1	0.016
योग 03	0.837

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत औराईमुडा से टेरम तक सड़क चौड़ीकरण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/18-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-घरघोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-ढोरम
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.693 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
238/1	0.004
254/1	0.197
380/1	0.241
252	0.049
253/2	0.075
263/2	0.113
263/3	0.100
254/3	0.067
254/5	0.008
254/6	0.164
264	0.024
350/7	0.024
266	0.020
267	0.128
271/1	0.025
271/2	0.008
314	0.051
317	0.008
316	0.016
350/4	0.352
350/5	0.312
377/2	0.375
380/2	0.493
385/22	0.135
389	0.262
393	0.020
388	0.008
263/1	0.120
253/1	0.037
380/3	0.012
254/2	0.160
342	0.085
योग 32	3.693

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत औराईमुडा से टेरम तक सड़क चौड़ीकरण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/18-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-घरघोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-टेरम
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.878 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
335/1	0.232
337/2	0.052
336	0.121
337/1	0.008
337/3	0.040
345	0.088
448/2	0.036
448/3	0.100
584/1	0.036

(1)	(2)
475	0.090
518/2	0.052
471/2	0.130
542/11	0.044
508/3	0.016
542/7	0.032
509/1	0.078
509/2	0.012
509/4	0.053
514/3	0.078
516	0.223
526/4/k	0.016
517	0.175
518/1	169
524/3	0.008
536/3	0.122
348/2	0.120
539	0.008
540	0.094
536/1	0.081
541/1	0.065
542/1	0.183
542/2	0.050
542/12	0.056
543/2	0.061
542/3	0.052
573	0.008
543/1	0.045
542/5	0.044
योग 38	2.878

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत औराईमुडा से टेरम तक सड़क चौड़ीकरण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/18-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-घरघोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-कंचनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.962 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
528/2	0.060
540/1	0.004
541	0.044
542	0.024
543	0.156
570	0.069
601	0.171
603/1	0.040
603/2	0.008
613/5	0.020
603/10	0.028
607/2	0.016
608/1	0.008
609/1	0.020
708/7	0.057
613/6	0.130
613/7	0.032
610/1	0.059
711/2	0.016
योग 19	0.962

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत औराईमुडा से टेरम तक सड़क चौड़ीकरण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा दिनांक 7 अक्टूबर 2019

क्रमांक 03/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-बहिंगा, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1068/1	0.08
	1069	0.10
	1071	0.12
	1072	0.03
योग	4	0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बहिंगा एनीकेट योजना के एप्रोच रोड हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा दिनांक 7 अक्टूबर 2019

क्रमांक 05/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-मड़ ई, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.74 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	379/1	0.09
	380	0.03
	381/2	0.10
	385/1	0.18
	387/1	0.11
	386/1	0.12
	389/1	0.03
	389/3	0.08
योग	8	0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हेम्प व्यपवर्तन दायीं तट नहर के चैन क्रमांक 592 से 600 के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा राजपूत तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

क्रमांक 1255/न्या.लि./2019.—पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक पुअ/राय/याता/463/2019 दिनांक 30-09-2019 द्वारा उल्लेख किया गया है कि जिला मुख्यालय में सायंकालीन 06-10 बजे तक भारी वाहन आवागमन/प्रतिबंध निषेधाज्ञा में आंशिक संशोधन किया जाये.

पूर्व में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.) के आदेश दिनांक 27-02-2010, 07-02-2015 तथा 30-03-2017 द्वारा आमजनों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था तथा सड़क सुरक्षा व सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु उर्दना बेरियर, रामपुर बेरियर, जिंदल बेरियर, चिराईपाली बेरियर एवं नंदेली तिराहा की ओर आने-जाने वाले भारी वाहनों के प्रवेश को प्रात: 06:00 बजे से 08:30 बजे तक, दोपहर 01-00 बजे से 03:00 बजे तथा शाम 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया था.

पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ के प्रतिवेदन अनुसार आमजन को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था प्रदान करने एवं सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु मैं यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायगढ़ मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं सहपठित छ.ग. मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में जारी पूर्व निषेधाज्ञा जो शहर के बाहर प्रात: 06:00 बजे से 08:30 बजे तक, दोपहर 01:00 बजे से 03:00 बजे तथा शाम 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक लागू है, मैं शाम 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक को संशोधन करते हुए दिनांक 30 नवम्बर 2019 तक निषेधाज्ञा आदेश शाम 06:00 से रात्रि 08:00 बजे तक जारी एवं रात्रि 08:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक स्थगित रखने का आदेश करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

यशवंत कुमार,
कलेक्टर.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2019

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/3855.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/32(2)/भा.अधि./2018-19/4554, रायपुर दिनांक 18-09-2018 द्वारा श्री अमित गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली को कृषि उपज मंडी समिति मुंगेली, जिला मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला मुंगेली, छ.ग. का ज्ञापन क्रमांक/5412/व.लि./2019 मुंगेली, दिनांक 11-09-2019 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति मुंगेली, जिला मुंगेली के भारसाधक अधिकारी श्री अमित गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर सुश्री रूचि शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री अमित गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के स्थान पर सुश्री रूचि शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति मुंगेली, जिला मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/3910.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/32(2)/भा.अधि./2019-20/7134, रायपुर दिनांक 06-02-2019 द्वारा श्री बी. एल. गजपाल, संयुक्त कलेक्टर बालोद को कृषि उपज मंडी समिति बालोद, जिला बालोद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला मुंगेली, छ.ग. का ज्ञापन क्रमांक/7980/व.लि. 1/स्था./2019 बालोद, दिनांक 16-09-2019 द्वारा श्री ए. के. बाजपेयी, अपर कलेक्टर जिला बालोद को कृषि उपज मंडी समिति बालोद, जिला बालोद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री बी. एल. गजपाल, संयुक्त कलेक्टर बालोद का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री ए. के. बाजपेयी अपर कलेक्टर जिला बालोद को कृषि उपज मंडी समिति बालोद, जिला बालोद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2019

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/4163.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/3320, रायपुर दिनांक 25-09-2014 द्वारा श्री नागेश्वर लाल पाण्डे, उपसंचालक कृषि, जिला कबीरधाम को कृषि उपज मंडी समिति कवर्धा, जिला कबीरधाम का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला कबीरधाम, छ.ग. का पत्र क्रमांक-मंडी/8652/विविध/2019-20 कबीरधाम दिनांक 28-09-2019 द्वारा श्री विपुल गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा को कृषि उपज मंडी समिति कवर्धा, जिला कबीरधाम का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री नागेश्वर लाल पाण्डे, उपसंचालक कृषि, कबीरधाम का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री विपुल गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला कबीरधाम को कृषि उपज मंडी समिति कवर्धा, जिला कबीरधाम का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिनव अग्रवाल,
प्रबंध संचालक.

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई
नेवई, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़
(तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर)

भिलाई, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक छस्वावितवि/प्रशा./2019/3349.—छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 66 (2) के तहत्, राज्यपाल/कुलाधिपति द्वारा दिनांक 05 अप्रैल 2017 को अनुमोदन उपरांत छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई अध्यादेश क्रमांक 31-"विश्वविद्यालय द्वारा देय विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य संवर्गो के लिए वेतनमान सहित अर्हताएं एवं सेवा शर्तों सम्बंधी अध्यादेश', एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है. यह अध्यादेश राज्यपाल/कुलाधिपति के अनुमोदित की तिथि से प्रवृत्त होता है.

अस्वीकरण : अध्यादेश अंग्रेजी में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित है. अनुमोदित अध्यादेश का यह हिन्दी अनुवाद है. यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित अध्यादेश मान्य होगा.

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

अध्यादेश क्रमांक – 31

(अनुच्छेद 38 की धारा 15 देखें)

विश्वविद्यालय द्वारा देय विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य संवर्गों के लिए वेतनमान सहित अर्हताएं एवं सेवा शर्तों सम्बंधी अध्यादेश

1.1 **भर्ती एवं अर्हताएं–**

1.1.1 सहायक प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, प्राध्यापक, निदेशक, विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय उप ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, विश्वविद्यालय उप निदेशक, विश्वविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं खेल पदों पर सीधी भर्ती अखिल भारत स्तर पर विज्ञापन एवं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 की धारा 46 के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से योग्यता के आधार पर होगी।

1.1.2 सहायक प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, प्राध्यापक, निदेशक, विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय उप ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, विश्वविद्यालय उप निदेशक, विश्वविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हताएं एआईसीटीई/यूजीसी जैसी स्थिति हो, द्वारा जारी विनियमों के अनुसार होगी।

1.1.3 अर्हता सम्बंधी समस्त प्रमाण–पत्र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से होने चाहिए।

1.1.4 शैक्षिक पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों द्वारा एम.फिल/एम.ई./एम.टेक और/अथवा पीएच.डी. डिग्री प्राप्त करने के लिए व्यतीत अवधि अध्यापन/शोध के अनुभव के रूप में मान्य नहीं होगा।

2.1 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, एम.सी.ए., प्रबंधन, भेषजी, वास्तुकला, नगर आयोजन के शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती

कार्यक्रम (1)	संवर्ग (2)	न्यूनतम अर्हताएं (3)	अनुभव (4)
अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी,	सहायक प्राध्यापक	बी.ई./बी.टेक. या एम.ई./एम.टेक. में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ संबंधित संकाय में बी.ई./बी.टेक. एवं एम.ई./एम.टेक.	
एम.सी.ए.	सहायक प्राध्यापक	बी.ई./बी.टेक. या एम.ई./एम.टेक. में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ संबंधित संकाय में बी.ई./बी.टेक. एवं एम.ई./एम.टेक. **अथवा** बी.ई./बी.टेक. या एम.सी.ए. में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ बी.ई./बी.टेक. एवं एम.सी.ए. **अथवा** प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ एम.सी.ए. के साथ दो वर्षों का संबंधित अनुभव.	

(1)	(2)	(3)	(4)
प्रबंधन	सहायक प्राध्यापक	प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष में व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष तथा 2 वर्ष का संबंधित अनुभव वांछनीय.	
भेषजी	सहायक प्राध्यापक	स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ भेषजी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि.	
वास्तुकला	सहायक प्राध्यापक	वास्तुकला में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ वास्तुकला में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि.	
नगर आयोजन	सहायक प्राध्यापक	स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ नगर आयोजन में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि.	
	सह प्राध्यापक	उपरोक्तानुसार सहायक प्राध्यापक पद की अर्हता, जैसा लागू हो, एवं उपयुक्त संकाय में पीएच.डी., पीएच.डी. उपरांत प्रकाशन एवं पीएच.डी. विद्यार्थियों का मार्गदर्शन अतिवांछनीय.	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम दो वर्षों का अनुभव पीएच.डी. उपरांत वांछनीय है. वास्तुकला के संदर्भ में वास्तुकला परिषद द्वारा यथा प्रमाणित 5 वर्षों का व्यवसायिक अनुभव भी मान्य होगा.
	प्राध्यापक	उपरोक्तानुसार सह प्राध्यापक पद के लिए अर्हता, जैसा लागू हो, पीएच.डी. उपरांत प्रकाशन एवं पीएच.डी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन अतिवांछनीय.	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम 5 वर्षों का अनुभव सह–प्राध्यापक स्तर में हो. **या** शिक्षण और/अथवा शोध और/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्षों का अनुभव. शोध क्षेत्र में अनुभव की स्थिति में, उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड एवं पुस्तकों / शोध पत्रों का प्रकाशन/आई.पी.आर/पेटेंट

(1)	(2)	(3)	(4)
			संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें। यदि औद्योगिक अनुभव को मान्य किया जाता है तो वह, सह प्राध्यापक के समकक्ष प्रबंधकीय स्तर का हो, जिसमें साथ ही उपाय/अभिकल्पन, आयोजन, क्रियान्वयन, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, नवाचार, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध पत्र प्रकाशन/आई.पी.आर/पेटेंट आदि के रूप में, जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें, सक्रिय प्रतिभागिता हो. वास्तुकला के संदर्भ में वास्तुकला परिषद द्वारा यथा प्रमाणित 10 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव भी मान्य होगा.
	निदेशक	उपरोक्तानुसार प्राध्यापक पद की अर्हता, जैसा लागू हो। पीएच.डी. उपरांत प्रकाशन एवं पीएच.डी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन अतिवांछनीय.	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम 3 वर्षों का अनुभव प्राध्यापक स्तर में हो, **या** शिक्षण और/अथवा शोध और/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्षों का अनुभव। शोध क्षेत्र में अनुभव की स्थिति में, उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड एवं पुस्तकों/शोध पत्रों का प्रकाशन/आई.पी.आर/पेटेंट संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें.

(1)	(2)	(3)	(4)
			यदि औद्योगिक अनुभव को मान्य किया जाता है तो वह, प्राध्यापक के समकक्ष प्रबंधकीय स्तर का हो, जिसमें साथ ही उपाय/अभिकल्पन विकास आयोजन, क्रियान्वयन, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, नवाचार, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध पत्र प्रकाशन आई.पी.आर/पेटेंट आदि के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता हो, जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें. प्रबंधन में अभिरूचि एवं नेतृत्व का गुण अनिवार्य है. वास्तुकला के संदर्भ में वास्तुकला परिषद द्वारा यथा प्रमाणित 10 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव भी मान्य होगा.

(i) पीएच.डी. की समतुल्यता, अभ्यर्थी के मुख्य लेखक के रूप में पांच अंतर्राष्ट्रीय जर्नल पेपर्स के प्रकाशन के आधार पर होगी, जिसमें से प्रत्येक जर्नल का संचित प्रभाव सूचकांक 2.0 से कम नहीं होगा और समस्त पांच प्रकाशन लेखक के विशेषज्ञता क्षेत्र में होगा.

(ii) पीएच.डी. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होगा.

(iii) किसी पदधारी सहायक प्राध्यापक के लिए सहायक प्राध्यापक पद के अनुभव को सह–प्राध्यापक पद के अनुभव के समतुल्य माना जावेगा, बशर्ते कि उस पदधारी सहायक प्राध्यापक ने संबंधित संकाय में पीएच.डी. उपाधि अर्जित की हो.

(iv) डिप्लोमा (पत्रोपाधि) संस्थाओं में अनुभव को भी स्नातक स्तर की संस्थाओं में अनुभव के समुचित स्तर एवं जैसा लागू हो, के समतुल्य माना जावेगा. तथापि उपरोक्तानुसार शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होगा.

(v) यदि श्रेणी प्रदान नहीं की जाती है, तो कुल अंको में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको को प्रथम श्रेणी के समतुल्य माना जावेगा.

2.2 विज्ञान एवं मानिविकी में शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताएं–

2.2.1 **सहायक प्राध्यापक :–**

(i) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी के साथ मानविकी एवं विज्ञान के उपयुक्त विषय में स्नातकोत्तर उपाधि.

(ii) उपरोक्त अर्हता पूर्ण करने के अतिरिक्त, अभ्यर्थी द्वारा यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे एस.एल.ई.टी./एन.ई.टी. भी उत्तीर्ण की गई हो.

(iii) इस खण्ड के उप खण्ड (i) और (ii) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी, जिसके पास 2009 से पूर्व प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि हो, या जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) के अनुरूप 2009 के पश्चात, पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो, उसे विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक पद पर चयन एवं नियुक्ति हेतु एन.ई.टी./एस.एल.ई.टी./एस.ई.टी. की न्यूनतम योग्यता शर्त की अपेक्षा में छूट प्रदान की जाएगी.

2.2.2 **सह–प्राध्यापक**

(i) सहायक प्राध्यापक पद हेतु उपर्युक्तानुसार अर्हता एवं प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. उपाधि.

(ii) सहायक प्राध्यापक के समकक्ष किसी शैक्षणिक/शोध पद पर शिक्षण/शोध का न्यूनतम 6 वर्षों का अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जर्नल में उत्तम प्रभाव कारक के साथ न्यूनतम तीन प्रकाशन.

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम, 2012 में सन्निहित मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित निष्पादन (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षिक निष्पादन संकेतक (ए.पी.आई.) में यथा निर्दिष्ट न्यूनतम अंक.

2.2.3 **प्राध्यापक**

(i) सह–प्राध्यापक पद हेतु उपर्युक्तानुसार अर्हता.

(ii) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिक्षण, और/अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्था/उद्योग में शोध में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव, जिसमें से 5 वर्ष सह प्राध्यापक स्तर में हो, जिसमें डॉक्टोरल स्तर पर शोध के लिए उम्मीदवारों का मार्ग दर्शन करने का अनुभव भी शामिल है.

या

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्यापन और/अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थान/उद्योग में शोध में न्यूनतम 13 वर्षों का अनुभव.

(iii) प्रकाशित कार्य का साक्ष्य जिसमें न्यूनतम चार प्रकाशन अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के जर्नल में उत्तम प्रभाव कारक के साथ हो.

(iv

(iii) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2009 के अनुसार, पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो या की जावे, उन्हें विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल के चयन एवं नियुक्ति के लिए आवश्यक एन.ई.टी./एस.एल.ई.टी./एस.ई.टी. की न्यूनतम अर्हता से छूट प्रदान की जावेगी.

2.3.2 **उप ग्रंथपाल**

(i) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको या उसके समतुल्य यू.जी.सी. सात बिन्दु पैमाने में 'बी' ग्रेड, के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि एवं सतत उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड.

(ii) विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल/महाविद्यालय ग्रंथपाल के रूप में पांच वर्षों का अनुभव.

(iii) अभिनव पुस्तकालयीन सेवा एवं प्रकाशित कार्यों के व्यवस्थापन और व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण संबंधी साक्ष्य.

(iv) वांछनीयः पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन/पुरालेख एवं पांडुलिपि संधारण/पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण में एम.फिल/पीएच.डी. उपाधि.

2.3.3 **विश्वविद्यालय ग्रंथपाल**

(i) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको या उसके समतुल्य यू.जी.सी. सात बिन्दु पैमाने में 'बी' ग्रेड, के साथ स्नातकोत्तर उपाधि एवं सतत उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड.

(ii) विश्वविद्यालय में उप ग्रंथपाल के रूप में न्यूनतम 13 वर्ष अथवा विश्वविद्यालय में सहायक ग्रंथपाल/महाविद्यालय ग्रंथपाल के रूप में 18 वर्ष का अनुभव.

(iii) अभिनव पुस्तकालयीन सेवा एवं प्रकाशित सामग्रियों के व्यवस्थापन संबंधी साक्ष्य.

(iv) वांछनीयः पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन/पुरालेख एवं पांडुलिपि संधारण/पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण में एम.फिल/पीएच.डी. उपाधि.

2.4 सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल, उपनिदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल, निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल पदों के लिए न्यूनतम अर्हता

2.4.1 **विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल**

(i) सतत् उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड सहित न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको (या समतुल्य ग्रेड जहां ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है) के साथ शारीरिक शिक्षा अथवा क्रीड़ा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि.

(ii) अंतर विश्वविद्यालयीन/अंतर महाविद्यालयीन प्रतिस्पर्धाओं अथवा राज्य और/या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने संबंधी साक्ष्य.

(iii) इस उद्देश्य के लिए यूजीसी अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर परीक्षा में उत्तीर्ण.

(iv) इन विनियमों के अनुसार आयोजित शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण.

(v) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2009 के अनुसार, पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो या की जावे, उन्हें विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल के चयन एवं नियुक्ति के लिए आवश्यक एन.ई.टी./एस.एल.ई.टी./एस.ई.टी. की न्यूनतम अर्हता से छूट प्रदान की जावेगी.

2.4.2 **विश्वविद्यालय उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल**

(i) शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी. इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय निकाय से बाहरी अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको (या समतुल्य ग्रेड जहां ग्रेडिंग प्रणाली का अनुरसरण किया जाता है) के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.

(ii) विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल/महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल के रूप में आठ वर्षों का अनुभव, पीएच.डी. और एम.फिल. उत्तीर्ण होने पर क्रमशः 2 वर्ष और एक वर्ष की छूट.

(iii) प्रतियोगिता आयोजित करने एवं न्यूनतम 2 सप्ताह की अवधि के कोचिंग कैंप संचालित करने संबंधी साक्ष्य.

(iv) राज्य/राष्ट्रीय/अंतर–विश्वविद्यालयीन/संयुक्त विश्वविद्यालयीन स्पर्धाओं, आदि के लिये उत्तम प्रदर्शन करने वाली टीम/एथलीट बनाने सम्बंधी साक्ष्य.

(v) इन विनियमों के अनुरूप शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण.

(vi) सतत उत्तम मूल्यांकन प्रतिवेदन.

2.4.3 **विश्वविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल**

(i) शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी.

(ii) विश्वविद्यालय उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल के रूप में न्यूनतम दस वर्षों का अथवा विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल/महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल के रूप में पन्द्रह वर्षों का अनुभव.

(iii) न्यूनतम दो राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमीनार/सम्मेलनों में सहभागिता.

(iv) सतत उत्तम मूल्यांकन प्रतिवेदन.

(v) स्पर्धाएं आयोजित करने एवं न्यूनतम 2 सप्ताह की अवधि के कोचिंग कैंप संचालित करने संबंधी साक्ष्य.

(vi) राज्य/राष्ट्रीय/अंतर–विश्वविद्यालयीन/संयुक्त विश्वविद्यालयीन स्पर्धाओं, आदि के लिये उत्तम प्रदर्शन करने वाली टीम/एथलीट बनाने सम्बंधी साक्ष्य.

2.4.4 **शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा मानदण्ड**

(अ) इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, ऐसे समस्त अभ्यार्थियों को जिन्हें शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा देना अनिवार्य है, उन्हें चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होना होगा, जिसमें प्रमाणित हो कि वह ऐसी परीक्षाओं के लिए चिकित्सकीय आधार पर स्वस्थ है.

(ब) ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, जैसा कि उपरोक्त उप कंडिका (अ) में उल्लेखित है, अभ्यर्थी को निम्न मानदण्डों के अनुरूप शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा देनी होगी –

पुरूषों के लिए मानदण्ड

12 मिनट पैदल चाल परीक्षा

30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर

महिलाओं के लिए मानदण्ड

8 मिनट पैदल चाल परीक्षा

30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर

2.5 **बिंदु पैमाने पर ग्रेड बिंदु की प्रतिशत समतुल्यता :**
यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान ग्रेड में परिणाम घोषित करते हैं, अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाने वाले सी.जी.पी.ए. के संबंध में, समतुल्य प्रतिशत की सारणी संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी. समतुल्य प्रतिशत की सारणी के अभाव में ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. विनियम, जैसा लागू हो, को आधार लेकर, रैखिक अंतरवेशण का उपयोग किया जावेगा.

3.1 उपरोक्त समस्त पदों के कैरियर उन्नति योजना सहित समस्त चयन प्रक्रिया में ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. विनियम, यथा स्थिति जो भी लागू हो, में सन्निहित ''मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित निष्पादन (पी.ए.बी.एस)'' के आधार पर ''शैक्षणिक निष्पादन संकेतक (ए.पी.आई.)'' पूर्ण पारदर्शिता से लागू किया जावेगा. ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. यथा स्थिति जो लागू हो, द्वारा ए.पी.आई और पी.बी.ए.एस. में समय–समय पर किए जाने वाले संशोधनों को अंगीकृत किया जावेगा.

3.2 प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक एवं अन्य संवर्गों के पदो पर खुले विज्ञापन द्वारा नियुक्ति एवं कार्यरत अध्यापकों की कैरियर उन्नति योजना के माध्यम से पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हताओं एवं शर्तों से संबंधित किसी मुद्दे पर यदि इस अध्यादेश में कोई उल्लेख नहीं हो, तो ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. विनियम, यथा स्थिति जो लागू हो, को आधार माना जावेगा.

3.3 प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक एवं अन्य संवर्गों के पदो पर खुले विज्ञापन द्वारा नियुक्ति एवं कार्यरत अध्यापकों की कैरियर उन्नति योजना के माध्यम से पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हताओं एवं शर्तों के सम्बंध में ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. विनियम, यथा स्थिति जो लागू हो द्वारा किये गए संशोधन, विश्वविद्यालय द्वारा अनुकूलन किए जाने पर लागू होंगे.

3.4 अनर्हताएं : अनर्हता की शर्तें, इस संबंध में छ.ग. राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित नियमों के अनुरूप, लागू होंगी.

3.5 चयनित अभ्यर्थी दो वर्षों की परिवीक्षा पर नियुक्त किये जावेंगे।.

3.6 **आयु सीमा**

पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा
सहायक प्राध्यापक	21 वर्ष	40 वर्ष
सह प्राध्यापक	–	50 वर्ष
प्राध्यापक	–	58 वर्ष
निदेशक	–	58 वर्ष
विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल	21 वर्ष	30 वर्ष
विश्वविद्यालय उप ग्रंथपाल	–	50 वर्ष
विश्वविद्यालय ग्रंथपाल	–	58 वर्ष
विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल	21 वर्ष	30 वर्ष
विश्वविद्यालय उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल	–	50 वर्ष
विश्वविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल	–	58 वर्ष

टीप : 1.सहायक प्राध्यापक, विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल तथा विश्वविद्यालय सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं खेल पदों के पीएच.डी. उपाधिधारी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट रहेगी.

2.छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों के लिए लागू आयु सीमा में छूट केन्द्र से वित्त पोषित संस्थाओं एवं केन्द्र शासन के कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगे.

3.7 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य विशिष्ट संवर्गों के व्यक्तियों को आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलता और अन्य छूट संबंधी प्रावधान छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुरूप लागू होंगे.

3.8 विशिष्ट पाठ्यक्रम में संकाय पदों के लिए, स्नातक/स्नातकोत्तर/पीएच.डी. में अध्ययन की शाखा का निर्धारण, चयन समिति द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन के प्रकाशित होने के पूर्व किया जावेगा.

3.9 सतत उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड का अर्थ है कि अभ्यर्थी को 10+2/मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर में कम से कम 55 प्रतिशत अंको (अथवा बिंदु पैमाने पर समतुल्य ग्रेड, जहां ग्रेडिंग पद्धति का पालन किया जाता है) के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए.

3.10 डिजाइन, माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स/नैनोटेक्नॉलाजी, एनर्जी एंड एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायो–मेडीकल इंजीनियरिंग और बायो–इन्फॉर्मेटिक्स जैसे अंतर–शिक्षण शाखा में एम.टेक. स्तर के पाठ्यक्रम के लिए चयन समिति एम.एस.सी. और पीएच.डी को संकाय पदों के चयन हेतु सम्मिलित करने का निर्णय कर सकती है.

Bhilai, the 27th November 2019

No. छस्वाविवि/प्रशा./2019/3349.—Under section 66 (2) of Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University (Amendment) Act, 2014 after the approval of the Governor/Chancellor on 05 April 2017 Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai Ordinance No. 31 - "Ordinance for Qualifications and Conditions of Appointment including Pay Scales of the Teachers and other cadre of the University payable by the University", is hereby notified. This Ordinance is effective from the date of approval by the Governor/Chancellor.

CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY BHILAI

Ordinance No. 31

(Refer clause 15 of Section 38)

Ordinance for Qualifications and Conditions of Appointment including Pay Scales of the Teachers and other cadre of the University payable by the University

Recruitment and Qualifications

1.1.1 The direct recruitment to the post of Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Director, University Assistant Librarian, University Deputy Librarian, University Librarian, University Assistant Director, University Deputy Director, University Director of Physical Education and Sport shall be on the basis of merit through all India advertisement and selections by the duly constituted Selection Committee as specified in Section 46 of Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Act 2004.

1.1.2 The minimum qualifications required for the Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Director, University Assistant Librarian, University Deputy Librarian, University Librarian, University Assistant Director, University Deputy Director, University Director of Physical Education and Sport shall be in accordance with regulations prescribed by AICTE/UGC as applicable.

1.1.3 All the degrees in qualifications shall be from a recognized University/Institute.

1.1.4 The period of time taken by candidates to acquire M. Phil/ME/MTech and / or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching /research experience to be claimed for appointment to the teaching position.

2.1 Direct Recruitment for teaching positions in Engineering and Technology, MCA, Management, Pharmacy, Architecture, Town Planning

Programme (1)	Cadre (2)	Qualifications (3)	Experience (4)
Engineering And Technology	Assistant Professor	BE/BTech and ME/MTech in relevant branch with First Class or equivalent either in BE/BTech or ME/MTech.	--
MCA	Assistant Professor	BE/BTech and ME/MTech in relevant branch with First Class or equivalent either in BE/BTech or ME/MTech. **OR** BE/ BTech and MCA with First class or equivalent in either BE / BTech or MCA. **OR** MCA with first class or equivalent with two years relevant experience.	

(1)	(2)	(3)	(4)
Management	Assistant Professor	First Class or equivalent in Masters Degree in Business Administration or equivalent and 2 years relevant experience is desirable.	
Pharmacy	Assistant Professor	Bachelors and Masters Degree in Pharmacy with First Class or equivalent either in Bachelors or Masters Degree.	
Architecture	Assistant Professor	Bachelors and Masters Degree in Architecture with First Class or equivalent either in Bachelors or Masters Degree.	
Town Planning	Assistant Professor	Bachelors and Masters Degree in Town Planning with First Class or equivalent either in Bachelors or Masters Degree.	
	Associate Professor	Qualification as above that is for the post of Assistant Professor, as applicable and PhD or equivalent, in appropriate discipline Post PhD publications and guiding PhD student is highly desirable.	Minimum of 5 years experience in teaching/ research / industry of which 2 years post PhD experience is desirable. In case of Architecture, Professional Practice of 5 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid.
	Professor	Qualification as above that is for the post of Associate Professor, as applicable Post PhD publications and guiding PhD students is highly desirable.	Minimum of 10 years teaching/research/ industrial experience of which at least 5 years should be at the level of Associate Professor. **or** Minimum of 13 years experience in teaching and/or research and/or Industry. In case of research experience, good academic record and books/research paper publications / IPR / patents record shall be required as deemed fit by the expert members of the selection committee. If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to Associate Professor with active partici pation record in devising/designing, planning, executing,

(1)	(2)	(3)	(4)
			analyzing, quality control, innovating, training, technical books/research paper publications / IPR / patents, etc as deemed fit by the expert members of the Selection committee. In case of Architecture, Professional Practice of 10 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid.
	Director	Qualification as above that is for the post of Professor, as applicable. Post PhD publications and guiding PhD students is highly desirable.	Minimum of 10 years experience in teaching/ Research/Industry out of which at least 3 years shall be at the level of Professor. **or** Minimum of 13 years experience in teaching and/or Research and/or Industry. In case of research experience, good academic record and books /research paper publications /IPR/ patents record shall be requiredas deemed fit by the expert members of the Selection committee. If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to Professor level with active participation record in devising/ designing, developing, planning, executing, analyzing, quality control, innovating, training, technical books / research paper publications / IPR / patents, etc as deemed fit by the expert members of the Selection committee. Flair for Management and Leadership is essential. In case of Architecture, Professional Practice of 10 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid.

i. Equivalence for PhD is based on publication of 5 International Journal papers, each Journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the authors' area of specialization.

ii. PhD shall be from a recognized University.

iii. For an incumbent Assistant Professor, experience at the level of Assistant Professor will be considered equivalent to experience at the level of Associate Professor, provided the incumbent Assistant Professor has acquired or acquires Ph. D Degree in the relevant discipline.

iv. Experience at Diploma Institutions is also considered equivalent to experience in degree level Institutions at appropriate level and as applicable. However, qualifications as above shall be mandatory.

v. If a class/ division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/ division.

2.2 Minimum qualification for Direct Recruitment for teaching positions in Science and Humanities

2.2.1 **ASSISTANT PROFESSOR**

i. Master's degree in relevant subject of Humanities and Sciences with first class or equivalent, at Bachelor's or Master's level from any recognized Indian University.

ii. Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.

iii. Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this Clause; a candidate, who has a Ph.D .Degree awarded before 2009, or has been awarded a Ph.D. Degree after 2009 in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment as Assistant Professor in the University.

2.2.2 **ASSOCIATE PROFESSOR**

i. Qualification as above for the post of Asstt. Professor and Ph.D. degree in relevant subject.

ii. A minimum of 6 years of experience in teaching or research at an academic/research position equivalent to that of Assistant Professor and minimum of 3 publications with good impact factor in International Journal of repute.

iii. A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based on Appraisal System (PBAS), set out in AICTE Regulation 2012.

2.2.3 **PROFESSOR**

i. Qualification as above for the post of Associate Professor.

ii. A minimum of 10 years of teaching experience in university/college, and/or experience in research at the University/National level institutions/industries out of which 5 years should be at the level of Associate Professor including experience of guiding candidates for research at doctoral level.

OR

Minimum of 13 years of teaching experience in University/college, and/or experience in research at the University/National level Institutions/industries.

iii. Evidence of published work with a minimum of 4 publications with good impact factor in International Journal of repute.

iv. A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based on Performance Based Appraisal System (PBAS), set out in this Regulation in AICTE Regulation 2012.

2.3 Minimum Qualifications for Direct Recruitment to the Posts of Assistant Librarian, Deputy Librarian and Librarian in the University

2.3.1 **UNIVERSITY ASSISTANT LIBRARIAN**

i. A Master's Degree in Library Science / Information Science / Documentation Science or an equivalent professional degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and a consistently good academic record with knowledge of computerization of library.

ii. Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC.

iii. However, candidates, who are, or have been awarded Ph.D. degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree), Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of University Assistant Librarian.

2.3.2 **UNIVERSITY DEPUTY LIBRARIAN**

i. A Master's Degree in library science/information science/documentation with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale and a consistently good academic record.

ii. Five years experience as an University Assistant Librarian/College Librarian.

iii. Evidence of innovative library service and organization of published work and professional commitment, computerization of library.

iv. Desirable: A M.Phil./Ph.D. Degree in library science/information science/ Documentation / Archives and manuscript-keeping/computerization of library.

2.3.3 **UNIVERSITY LIBRARIAN**

i. A Master's Degree in Library Science /Information Science/documentation with at least 55% marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale and a consistently good academic record.

ii. At least thirteen years as a Deputy Librarian in a university library or eighteen years' experience as a University Asstt Librarian /College Librarian.

iii. Evidence of innovative library service and organization of published work.

iv. Desirable: A M.Phil./Ph.D. Degree in library science/information science / documentation/archives and manuscript-keeping.

2.4 Minimum Qualifications for the posts of Assistant Director of Physical Education And Sports, Deputy Director of Physical Education and Sports, Director of Physical Education and Sports,

2.4.1 **UNIVERSITY ASSISTANT DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS**

i. A Master's Degree in Physical Education or Master's Degree in Sports Science with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) with a consistently good academic record.

ii. Record of having represented the university/college at the inter-university /inter-collegiate competitions or the State and/ or national championships.

iii. Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC.

iv. Passed the physical fitness test conducted in accordance with these Regulations.

v. However, candidates, who are, or have been awarded Ph.D. degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree), Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of University Assistant Director of Physical Education & Sports.

2.4.2 **UNIVERSITY DEPUTY DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS**

(i) A Ph.D. in Physical Education. Candidates from outside the university system, in addition, shall also possess at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level by the University concerned.

(ii) Eight years experience as University Assistant DPES/College DPES, with a benefit of two years and one year for Ph.D. and M.Phil. Degree holders.

(iii) Evidence of organizing competitions and conducting coaching camps of at least two weeks duration.

(iv) Evidence of having produced good performance teams/athletes for competitions like state/ national/inter-university/combined university, etc.

(v) Passed the physical fitness test in accordance with these Regulations.

(vi) Consistently good appraisal reports.

2.4.3 **UNIVERSITY DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS**

(i) A Ph.D. in Physical Education.

(ii) Experience of at least ten years as University Deputy or fifteen years as University Assistant DPEs/College DPES.

(iii) Participation in at least two national/international seminars/conferences.

(iv) Consistently good appraisal reports.

(v) Evidence of organizing competitions and conducting coaching camps of at least two weeks' duration.

(vi) Evidence of having produced good performance teams/athletes for competitions like state/ national/inter-university/combined university, etc.,

2.4.4 **Physical Fitness Test Norms**

(a) Subject to the provisions of these Regulations, all candidates who are required to undertake the physical fitness test shall be required to produce a medical certificate certifying that he/she is medically fit before undertaking such tests.

(b) On production of such certificate mentioned in sub-clause (a) above, the candidate would be required to undertake the physical fitness test in accordance with the following norms:

NORMS FOR MEN

12 MINUTES WALK TEST

Up to 30 years	Up to 40 years	Up to 45 years	Up to 50 years
1800 metres	1500 metres	1200 metres	800 metres

NORMS FOR WOMEN

8 MINUTES WALK TEST

Up to 30 years	Up to 40 years	Up to 45 years	Up to 50 years
1000 metres	800 metres	600 metres	400 metres

2.5. **PERCENTAGE EQUIVALENCE OF GRADE POINTS FOR A POINT SCALE:**
It is hereby clarified that where the University/College/Institution declare results in grade, in respect of CGPA awarded to the candidates, the table of percentage equivalence shall be provided by the University concerned. In case of absence of table of percentage equivalence, AICTE/UGC regulation as applicable will be taken as reference using linear interpolation.

3.1 The AICTE/UGC Regulation as applicable, containing the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS) will be followed transparently in all the selection processes, including Career Advancement scheme (CAS) for all the posts above. The time to time changes amended by the AICTE/UGC as applicable in the API and PBAS will be adopted.

3.2 In case this ordinance is silent on any issues relating to Minimum qualifications and conditions for the post of Professors, Associate Professors and Assistant Professors and other cadre in the University for appointment of persons through open Advertisement and promotion of working teachers through career Advancement Scheme (CAS) the AICTE / UGC regulations as applicable shall be referred.

3.3 Any amendments made by the AICTE / UGC as applicable in respect of minimum qualifications and conditions for the post of Professors, Associate Professors and Assistant Professors and other cadre in the University for appointment of persons through open advertisement and promotion of working teachers through CAS will be applicable.

3.4 Disqualifications : The conditions for disqualification will be applicable in accordance with the rules laid down by Govt of Chhattisgarh from time to time in this regard.

3.5 The selected candidates shall be appointed on probation for two years.

3.6 The age limit:

Name of Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit
Assistant Professor	21 Years	40 Years
Associate Professor	-	50 Years
Professor	-	58 Years
Director	-	58 Years
University Assistant Librarian	21 years	30 Years
University Deputy Librarian	-	50 Years
University Librarian	-	58 Years
University Assistant Director of Physical Education and Sports	21 years	30 Years
University Deputy Director of Physical Education and Sports	-	50 Years
University Director of Physical Education and Sports	-	58 Years

Note :- 1. There will be age relaxation of five years for the candidates possessing PhD degree applying for the post of Assistant Professor, University Assistant Librarian and University Assistant Director of Physical Education and Sports.

2. Age relaxation as applicable to Chhattisgarh Government employees will also be applicable to employees of Centrally Funded Institutions and Central Government.

3.7 Reservations, relaxations in age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons will be in accordance with the orders issued by Govt. of Chhattisgarh from time to time in this regard.

3.8 For faculty positions in the specific courses, the branch of study of graduation/post graduation/Ph D may be determined by the selection committee before publishing the advertisement for recruitment.

3.9 Constantly good academic records means the candidate should have passed 10+2/Matriculation, Graduation and Post graduation with at least 55 % marks (or equivalent grade in a point scale where ever grading system is followed).

3.10 For interdisciplinary M Tech level courses like Design, Micro Electronics/Nano Technology, Energy and Environmental Engineering, Bio-medical Engineering and Bio-informatics, the selection committee may also decide inclusion of qualifications like M Sc and PhD for faculty positions.

डॉ. के. के. वर्मा,
कुलसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 3rd July 2019

No. 749/Confdl./2019/II-2-1/2019.—The Registry order No. 745/Confdl./2019/II-2-1/2019 dated 02-07-2019 is modified to the extent that Ku. Udai Laxmi Parmar, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate, Janjgir stands transferred as Additional District and Sessions Judge (F.T.C.), Janjgir and Shri Jagmohan Shankar Patel, Civil Judge Class-I, Akaltara stands transferred as II Additional District and Sessions Judge, Janjgir.

Bilaspur, the 8th July 2019

No. 770/Confdl./2019/II-3-1/2019.—The following members of Lower Judicial Service, as mentioned in column No. (2) of the table below, who are holding the post of Civil Judge Class-II and who have been posted on deputation as mentioned in column No. (3) vide State Government's order no. 675/217/XXI-B/C.G./18 dated 19-01-2018 and order/endt. 6682/2184/XXI-B/C.G./19 dated 04-07-2019 respectively, are hereby promoted and appointed on the post of Senior Civil Judge on proforma basis, from the date they assume charge of their post:

TABLE

S.No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Posted as (3)
1.	Shri Brijesh Rai	Secretary, District Legal Services Authority, Bilaspur
2.	Smt. Namita Minj Bhaskar	Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Atal Nagar, Nawa Raipur.

By order of the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.